संख्या-201/2015/2196जेएल/22-3-15-800(51)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2015***

विषय- जिला कारागार, गोण्डा के बंदी क्रान्ती कुमार पुत्र श्री मुक्तिनाथ शुक्ला, निवासी-ग्राम-उसरैना, थाना-कौडिया, जिला-गोण्डा को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोण्डा के बंदी क्रान्ती कुमार पुत्र श्री मुक्तिनाथ शुक्ला, निवासी-ग्राम-उसरैना, थाना-कौडिया, जिला-गोण्डा को शासनादेश संख्या-160/2015/1210जेएल/22-3-15-800(51)/2015, दिनांक 05-06-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-201/2015/2196जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in